न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान :- पाना देवी आदि बनाम रामकिशन आदि
प्रार्थना पत्र संख्या :- 216 / 2024
निर्णय दिनांक :- 09/01/25

1. पाना देवी पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी वार्ड नं. 12 एनए कॉलोनी राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. सिलोचना पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 12 एनए कॉलोनी राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

— प्रार्थीयागण —

बनाम

1. रामकिशन पुत्र भागुराम निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. अमरसिंह पुत्र भागुराम निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. हरदत पुत्र भागुराम निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
4. नायब तहसीलदार साहवा तह. तारानगर जिला चूरू।

— अप्रार्थीगण —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :—1. श्री पूर्णाराम सांगवान अभिभाषक वास्ते प्रार्थीयागण।
2. राजपैरोकार वास्ते नायब तहसीलदार साहवा वास्ते अप्रार्थी संख्या 04।

—: निर्णय :—

प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **कृषि भूमि खसरा नं. 154 तादादी 3.8061 हैक्ट. रोही खरतवास** तहसील तारानगर जिला चूरू का खातेदार काश्तकार प्रार्थीयागण है। कृषि भूमि के पड़ौसियान अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 प्रार्थीयागण के खेत की सींव के साथ छेड़छाड़ करते रहते है तथा प्रार्थीयागण के खेत को कम कर प्रार्थीयागण को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते है। प्रार्थीयागण के खेत के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के खेत खसरा संख्या 155 लगता है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 प्रार्थीयागण के खेत की सींव के साथ छेड़छाड़ करते रहते है तथा प्रार्थीयागण के खेत को कम करते रहते है तथा आये दिन खेत की सींव को लेकर विवाद करते रहते है अगर प्रार्थीयागण के खेत की जमीन कम हो जायेगी तो प्रार्थीयागण को अपूर्णिय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थीयागण अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। ताकि भविष्य में किसी पड़ौसी के साथ खेत की सीमा को लेकर कोई विवाद न हो। प्रार्थीयागण ने अप्रार्थी संख्या 04 तहसीलदार के मातहत कर्मचारी पटवारी हल्का को कहा कि आप हमारे खेत का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी कर दो तो पटवारी

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

हल्का ने कहा कि न्यायालय से आदेश करा लो तक हम सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कर देगें। न्यायालय के आदेश बिना हम पत्थरगढी नहीं कर सकते है। प्रार्थीयागण के लिये अपने खेत का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है ताकि प्रार्थीयागण अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी कर सके ताकि प्रार्थीयागण की फसल पशुओ से बर्बाद न हो और ना ही किसी पडौसी खातेदार से सीमा सम्बधी विवाद हो।

इस प्रकार प्रार्थीयागण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त **कृषि भूमि खसरा नं. 154 तादादी 3.8061 हैक्ट. रोही खरतवास** की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 नायब तहसीदार साहवा की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 रजिस्टर्ड नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहें। अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

बहस वकील प्रार्थीयागण की सुनी गई। वकील प्रार्थीयागण ने वहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीयागण की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयागण खेत **कृषि भूमि खसरा नं. 154 तादादी 3.8061 हैक्ट. रोही खरतवास** तहसील तारानगर जिला चूरू का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थीयागण की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक प्रार्थीयागण की **कृषि भूमि खसरा नं. 154 तादादी 3.8061 हैक्ट. रोही खरतवास** कें सीमाचिन्ह राजस्व कार्मिकों टीम से स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में कायम करावें। किसी भी पडौसी खातेदार को बिना विधिक प्रकिया के मौके से बेदखल न किया जावें। सीमाचिन्ह कायम करने का समस्त खर्चा प्रार्थीयागण वहन करेगें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 09/01/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)